पत्र संख्या–वन भूमि–29/2019– 2485 व०प०

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक– 05.07.2019

विषय :– 220 K.V. D/C उलीझाड़ी–चाईबासा से गुवा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत 42.133 हे0 एवं सारण्डा वन प्रमंडल अंतर्गत 9.118 हे0 कुल–51.251 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–692 दिनांक–21.06.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर 10 वर्षीय योजना के अनुरूप क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) टावर निर्माण के दौरान वनभूमि से पत्थर, मिटटी, मोरम नहीं लाना होगा तथा सामान की ढुलाई के समय वाहन के परिचालन के द्वारा वनस्पति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचानी होगी।

(v) निर्माण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाएगा।

(vi) निर्माण कार्य के दौरान छोटे–बड़े जानवर की सुरक्षा हेतु पर्याप्त ध्यान देना होगा।

(vii) प्रस्तावित क्षेत्र के गज आरक्ष्य से होकर गुजरने के कारण, टावर के निचले भाग में लगभग 20 फुट ऊँचाई तक पर्याप्त Insulation होगा ताकि जंगली जानवरों को किसी संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके।

(viii) छोटे वृक्षों का पातन सामान्यतः नहीं किया जाएगा एवं सिर्फ वैसे वृक्षों का पातन किया जाएगा, जिनके पातन के अलावे और कोई विकल्प नहीं है।

 Phone/Fax- 0651-2430133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

(ix) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (F.C.Division) के पत्रांक–F.No.7-25/2012-F.C. दिनांक–05.05.2014 द्वारा निर्गत guidelines for laying Transmission Lines through forest areas में निर्गत दिशा–निदेशों का पालन करना होगा।

(x) सारण्डा वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन गज आरक्ष्य के कोर क्षेत्र से होकर गुजरता है। जीव जन्तु की सुरक्षा हेतु Wild Life Management Plan बनवाने एवं वन विभाग की देख–रेख में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

(xi) प्रस्तावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई से उत्पन्न भू–क्षरण की समस्या एवं जल एवं मृदा संरक्षण के उद्देश्य से जल एवं मृदा संरक्षण की कार्य योजना वन विभाग की देख–रेख में तैयार करने एवं इसे विभागीय देख–रेख में लागू करने की जिम्मेवारी एवं खर्च का वहन प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

(xii) दोनों प्रमण्डलों में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई से उत्पन्न समस्या को देखते हुए प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के आस–पास के क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा चयनित स्थल पर प्रयोक्ता अभिकरण को evergreen प्रजाति के लम्बे वृक्षों का गैबियन वृक्षारोपण करना होगा एवं इनकी देखभाल भी 4 वर्षो तक करनी होगी।

(xiii) स्थल पर अपयोजित होने वाले वनभूमि को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थाई पीलर से दर्शाना आवश्यक होगा एवं इन पीलरों का फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड बीयरिंग दर्शाना आवश्यक होगा।

(xiv) इन शर्तों के अतिरिक्त यदि CWLW के मंतव्य में कोई शर्त प्रस्तावित किया जाता है, तो इसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(xv) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/– 5/7/19

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–29/2019– 2485 व0प0, राँची, दिनांक– 05.07.2019

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0/– 5/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–29/2019– 2485 व0प0,राँची, दिनांक– 05.07.2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/विद्युत अधीक्षण अभियंता, ट्रांसमिशन सर्किल, रूगंटा सब–स्टेशन के समीप, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम–833201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 5/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 51.251 ha of Forest Land for Construction of 220 K.V D/C Ulijhari-Chaibasa to Gua Transmission Line in favour of JUSNL.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 51.251 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no-2485 dated-05.07.2019.....

Signature: [signature] 5/7/19

Name & Designation: Sunil Kumar

(O.S.D)

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date: 05.07.2019

Place: Ranchi